



INDIA NON JUDICIAL

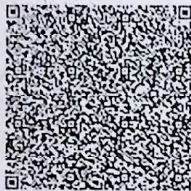
Government of Uttar Pradesh



IN-UP64933096413740Y

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP64933096413740Y
Certificate Issued Date : 19-Mar-2026 04:42 PM
Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0124628072316881Y
Purchased by : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : VILL-DONA,GATA NO-2936 MI,TOTAL AREA-0.1445 HEC LUCKNOW
Consideration Price (Rs.) :
First Party : HASIN BANO AND OTHERS
Second Party : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By : LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,83,220
(Two Lakh Eighty Three Thousand Two Hundred And Twenty only)



Scanned Total Pages.../6.
मि.स.

Please write or type below this line

न हलीव

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ल
भायन तहसीलदार/स०च १०
ल०वि०प्रा०

मि.शं हसीन बानो

0000919586

Statutory Alert.

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding
Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
2. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority

92

SHIL



0000010000



विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट - 70,00,000/- (प्रति हे०)
 2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे०) :- 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/- (प्रति हे०)
 3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति - 40,46,000/-
(वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य)
 4. मालियत रू० - 10,11,500/-
 5. जनरल स्टाम्प - 2,83,220/-
- स्टाम्प सं. डी IN-UP64933096413740Y व दिनांक 19-03-2026

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार - (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला - दोना
8. परगना व तहसील - काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद - लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 2936मि० का कुल रकबा 0.2890हे० में से विक्रीत रकबा 0.1445हे०, अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1445हे०
11. सड़क की स्थिति- किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विक्रीत रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी० दूरी पर स्थित है।
13. विक्रेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नहीं है।

तहसील

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) - नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या- 2936मि०

15. पूरब - गाटा संख्या - 2935
 16. पश्चिम - गाटा संख्या - 2938
 17. उत्तर - गाटा संख्या - 2907
 18. दक्षिण - गाटा संख्या - 3069

19. विक्रेता का विवरण:-

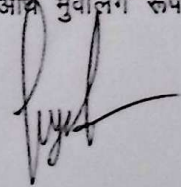
1. श्री अब्दुल शरीफ अली पुत्र मोहम्मद रौफ, निवासी -दोना, विशेषर खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
 आधार नं० 2569 3719 7079 मो० नं० 9118074708 पैन नं० GFNPA3452J
 द्वारा मुख्तारेआम श्री तहजीब अहमद रौफ पुत्र श्री मो० रौउफ नि० ग्राम दोना, परगना, काकोरी, तह० सरोजनीनगर, लखनऊ
 आधार नं० 6304 3836 7960 मो० नं० 9118074708 पैन नं० BMAPT7481H
2. श्रीमती हसीन बानो उर्फ हसन बानो पत्नी मो० रउफ, निवासी -दोना, विशेषर खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
 आधार नं० 4123 2212 6887 मो० नं० 9118074708 पैन नं० CLMPB9870L

20. क्रेता का विवरण:-

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत - वरुण विहार आवासीय योजना
 लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
 लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
 गोमती नगर, लखनऊ
 द्वारा - श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला
 पदनाम - सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
 विभाग - लखनऊ विकास प्राधिकरण
 जनपद - लखनऊ मो० - 9540244993
 पैन संख्या - AAALL0016F

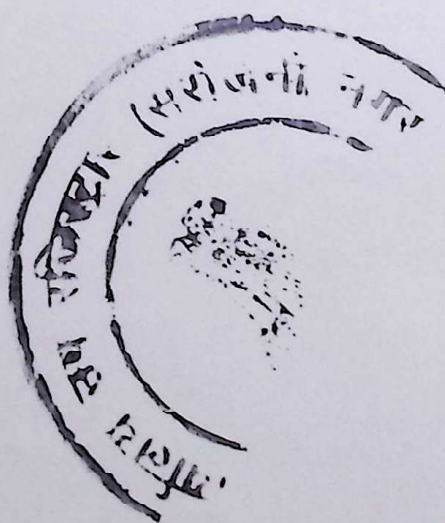
21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात भिस्त, रेहन व बय व हिवा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नहीं है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नहीं है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा 0.1445हेक्टेयर भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरुरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों व दाखिल-खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोड़े किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिंग रुपये 40,46,000/- (रुपये चालीस लाख छियालिस हजार मात्र) जिसके आगे मुबलिंग रुपये

तहजीब



89

1



20,23,000/- (रूपये बीस लाख तेईस हजार मात्र) होते हैं, विक्रेता संख्या-01 अब्दुल शरीफ द्वारा मुख्तारआम श्री तहजीब अहमद रौफ पुत्र श्री मो० रौउफ नि० ग्राम दोना, परगना, काकोरी, तह० सरोजनीनगर, लखनऊ जिनके पक्ष में विक्रेता संख्या-01 अब्दुल शरीफ उपरोक्त ने मुख्तारनामा दिनांक 10.02.2026 को निष्पादित किया है जो सबरजिस्ट्रार कार्यालय सरोजनीनगर, लखनऊ के कार्यालय में बही संख्या-04, जिल्द संख्या-176 के पृष्ठ संख्या-327 से 336 तक क्रमांक-36 पर दिनांक 10.02.2026 को पंजीकृत है और अद्यतन विधिमान्य है। तथा विक्रेता संख्या-02 श्रीमती हसीन बानो उक्त स्वयं बदस्त क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरुण विहार योजना गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी / नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय का मिल व फरोख्त कतई किया यानि लखनऊ विकास प्राधिकरण को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से क्रेता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नहीं रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नहीं रहा। अगर कोई शख्स दावा करे, तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतों में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा-खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बन्धित सभी हक व हक्क तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए हैं अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नहीं है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नहीं किया गया है। और प्रचलित भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. तफसील आराजी बयसुदा:-

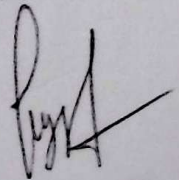
भूमिधरी आराजी खसरा सं० 2936मि० का कुल रकबा 0.2890हे० में से विक्रीत रकबा 0.1445हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारों की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. तफसील बसूलयाबी:-

कुल विक्रय मूल्य मु० रूपये 40,46,000/- (रूपये चालीस लाख छियालिस हजार मात्र) विक्रेता श्री अब्दुल शरीफ अली पुत्र मोहम्मद रौफ व श्रीमती हसीन बानो पत्नी मो० रौउफ उपरोक्त को जरिए डिपॉजिट डॉक ICICI Bank शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास

तहजीब



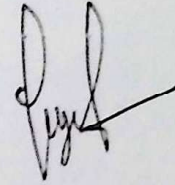
४७



प्राधिकरण ड्रॉफ्ट संख्या 538923 व 538924 क्रमशः दिनांक 16.03.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विक्रेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नहीं करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष में विक्रीत आराजी के बावत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा-बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी में विफल होने की दशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू-राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू-राजस्व की भांति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विक्रेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

स्थान- लखनऊ।

दिनांक- 31/3/2026



त ह जीव



85

आवेदन सं०: 202601041019585

विक्रय पत्र

पृष्ठ सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8175

वर्ष: 2026

प्रतिफल- 4046000 स्टाम्प शुल्क- 283220 बाजारी मूल्य - 1011500 पंजीकरण शुल्क - 40460 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग : 40520

श्रीमती हसीन बानो उर्फ हसन बानो ,
पत्नी श्री मो० रऊफ
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 07/05/2026 एवं 08:50:04 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संदीप कुमार सिंह

उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

07/05/2026

मुनील कुमार-तिवारी

निबंधक लिपिक

07/05/2026



तहजीब

हस्ताक्षर विक्रेता

गवाह - 01

नाम - श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम - श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या- 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या - 6387717976



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature.

हस्ताक्षर क्रेता

गवाह - 02

नाम - श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम - श्री राम सागर
निवासी - लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आधार संख्या- 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या - 7081100818



Handwritten signature/initials.

टाइपकर्ता

Handwritten signature/initials.

सीरम

लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक

Handwritten signature.

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)

लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529



83

श्री शिवम अवस्थी अपीन,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



Shivam

श्री देशराज लेख0,

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी



Deshraj

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार सिंह

उप निबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

07/05/2026

सुनील कुमार तिवारी

निबंधक लिपिक लखनऊ

07/05/2026

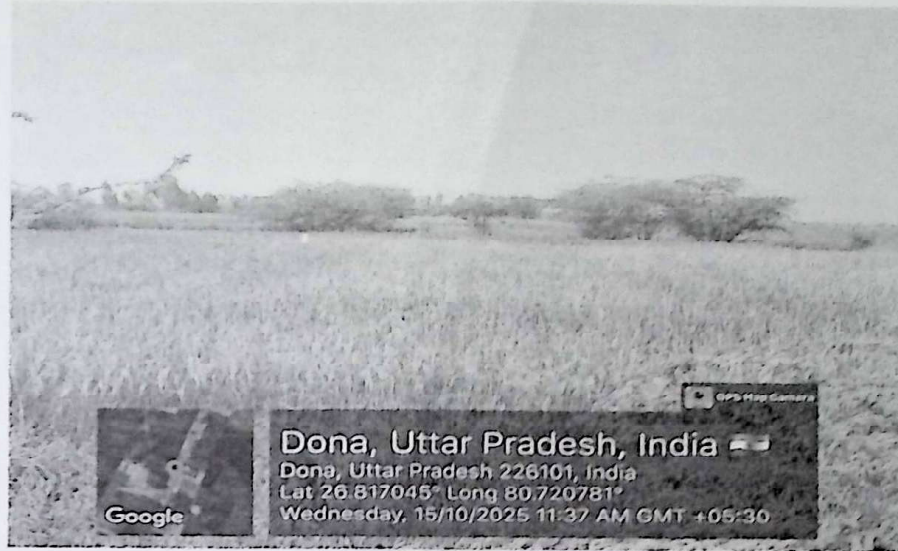


82

:: 6 ::

विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 2936मि० का कुल रकबा 0.2890हे० में से विक्रीत रकबा 0.1445हे० अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

तहजीब



81

आवेदन सं०: 202601041019585

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 8175

वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र धाव सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्रीमती हसीन बानो उर्फ हसन बानो,

[HASIN BANO

पत्नी श्री मो० रऊफ

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पेन XXXXXXX 870L

विक्रेता: 2

श्री अब्दुल शरीफ अली के द्वारा तहजीब अहमद रौफ,

[ABDUL SHAREEF ALI

पुत्र श्री मो० रऊफ

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पेन XXXXXXX 452J

क्रेता: 1

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला [LUCKNOW DEVELOPMENT
(नायब तहसीलदार), AUTHORITY

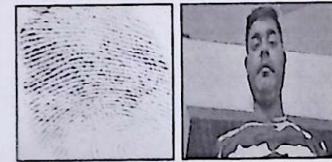
निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: मोकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पेन XXXXXXX 06F

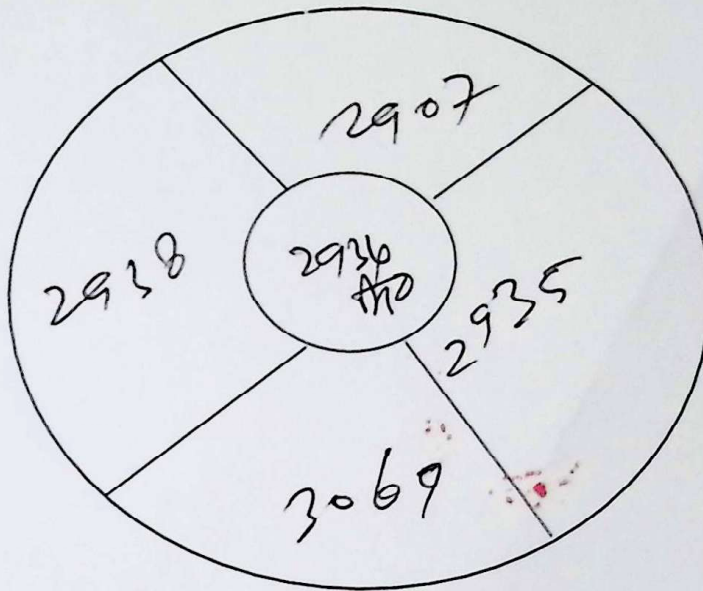
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

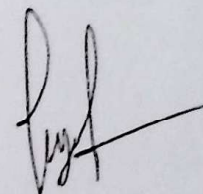


0 - 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 2936मि० का कुल रकबा 0.2890हे० में से विक्रीत रकबा 0.1445हे० अर्थात् विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम-दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।




विक्रेता के हस्ताक्षर


क्रेता के हस्ताक्षर

तद्विषय



79

आवेदन सं०: 202601041019585

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 2356 के पृष्ठ 371 से 390 तक क्रमांक 8175 पर दिनांक 07/05/2026 को
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह

उप निबंधक : सरोजनीनगर द्वितीय

लखनऊ

07/05/2026

